an>

Title: Need to remove the inconsistency between the provisions of The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and Right to Education Act, 2009.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) ः मैं भारत सरकार के दो अधिनियमों में अंतर्विरोध के बारे में बताना चाहती हूँ। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों में अंतर्विरोध है। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधान में 14 साल तक के बच्चे को खतरनाक काम को छोड़कर अन्य कार्य करने से नहीं रोकते हैं, दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में यह प्रावधान है कि 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना सरकारी दायित्व के साथ-साथ बच्चों का मौलिक अधिकारी भी है। इन दोनों अधिनियमों में भारी अंतर्विरोध है। आज हमारे देश में गरीबी एवं रूढ़िवादी मानसिकता इतनी भयंकर स्थिति में है, जिसके चलते वैसे बच्चे, जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने सुंदर भविष्य के साथ-साथ देश का भविष्य उज्ज्वल करने में सहायक हो सके। वैसे बच्चे अपनी गरीबी एवं रूढ़िवादी मानसिकता के चलते हर कार्य करने को विवश है एवं उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इस घिनौने कार्य में समाज के बड़े संभ्रांत लोगों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है। बाल मजदूरी ने सिर्फ एक अपराध है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। हम सबको मिलकर शपथ लेनी होगी कि जहां भी इस कृत्य को देखें उसे रोकने की कोशिश करें।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि बचपन बचाकर बच्चों के साथ-साथ देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने एवं मौजूदा कानून का क्रियान्वयन ठीक ढंग से करने तथा बाल अधिकारों को संरक्षित करने वाले दोनों बिलों के अंतर्विरोध को दूर किया जाये।